# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 52/2020
3. उनवान : सरकार जरिये विजेन्द्र कुमार शर्मा प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री छीतर सिंह जाति ठाकुर, निवासी मकान नं. 31, तिरुपति बालाजी नगर, सांगानेर।
2. श्री रुपनारायण पुत्र श्री जयराम बैरवा निवासी प्लाट नं. 30, चांद विहार कॉलोनी, टोल टैक्स नाके के पास, सांगानेर।
3. श्री रामेश्वर बैरवा, बैरवा कॉलोनी, सांगानेर।
4. श्री उदय सिंह, कर्मचारी/ड्राइवर मैसर्स त्रिवेणी गैस सर्विस, त्रिवेणी नगर, जयपुर।
5. मैसर्स त्रिवेणी गैस सर्विस, त्रिवेणी नगर शॉपिंग सेन्टर, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 11-07-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री पी.एल. बैरवा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   स) श्री शैलेन्द्र खण्डेलवाल अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
   द) श्री रामसिंह अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द जब्ती, सुपुर्दगीनामा, बयान आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थीगण पर दिनांक 24.11.2006 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 13 घरेलू सिलेण्डर (1 बीपीसी व 12 आईओसी) मय एलपीजी 96.7 किग्रा. व 3 साईकिल को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये जबकि अप्रार्थी संख्या 3 मौके से भाग गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1,2 व 3 की ओर से क्रमशः दिनांक 19.03.2007, 03.01.2007 व 26.10.2010 को अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 13.07.2011 को अप्रार्थी संख्या 3 एवं दिनांक 21.12.2011 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे



अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 11.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 24.11.2006 को अप्रार्थी के व्यापार परिसर पर बोगस ग्राहक भेजकर, घरेलू गैस के अवैध कारोबार में संलिप्तता की पुष्टि होने पर जांच कार्यवाही कर अप्रार्थीगण के कुल 13 घरेलू सिलेण्डर (1 बीपीसी व 12 आईओसी) मय 96.7 किग्रा, एलपीजी व 3 साईकिल जब्त किये गये तथा अप्रार्थी संख्या 3 मौके से भाग गया। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त सिलेण्डर स्वयं के बताये है, किन्तु जवाब प्रार्थना पत्र में स्वयं का नहीं होना बताया एवं अप्रार्थी संख्या 3 ने भी जवाब में जब्त सामान पर अपना स्वामित्व नहीं बताया। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे और उनके संधारण बाबत किसी अन्य ने भी क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 13 घरेलू सिलेण्डर (1 बीपीसी व 12 आईओसी) मय एलपीजी 96.7 किग्रा. व 3 साईकिल शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार [illegible])
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •